संख्या-161/2017/44वी.आई.पी./26-3-2017-4(188)/93टी.सी.

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊःदिनांकः 12 अक्टूबर, 2017

विषयः-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिये ''मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना'' प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के माध्यम से सामूहिक विवाह सम्पन्न कराकर, कार्यक्रम में सम्मिलित होने वालों लोगो को उनकी सामाजिक/धार्मिक मान्यता एवं परम्परा/रीति-रिवाज के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था कराकर समाज में सर्वधर्म-समभाव एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाने हेतु सभी वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित दिशा-निर्देशों/नीति के अनुसार ''मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

(क) उक्त योजनान्तर्गत पात्रता की शर्ते निम्नवत् होंगी-

(i)- कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।

(ii)- कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हो।

(iii)- आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए या जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया हो, कि लाभार्थी की स्थिति नितान्त दैयनीय एवं वंचित हो।

(iv)- विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे।

(v)–निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह/विधवा, परित्यक्तता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह।

(vi)–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vii)–विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यागं हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(ख) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत कार्यक्रम के आयोजन हेतु निम्नांकित संस्थायें अधिकृत होंगीः–

(i)–नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम)

(ii)–क्षेत्र पंचायत।

(iii)–जिला पंचायत।

(iv)–ऐसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थायें/स्वैच्छिक संस्थायें (एन0जी0ओ0) जिन्हें जिले के जिलाधिकारी द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु अधिकृत किया जायेगा।

कार्यक्रम के आयोजन हेतु सम्बन्धित निकाय द्वारा एक विवाह कार्यक्रम समिति गठित की जायेगी। समिति द्वारा ही विवाह कार्यक्रम के लिये स्थल चयन, टेन्ट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, विवाह संस्कार, अतिथियों के लिये सत्कार आदि की व्यवस्था करेगी।

समिति विवाह कार्यक्रम के लिये तिथि निर्धारित करेगी और उसके आने वाले क्षेत्र में तिथि व कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार करेगी।

(ग) उक्त योजना हेतु व्ययभार निम्नवत् होगाः–

(i)–कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रूपया–20,000/–(बीस हजार मात्र) कन्या के खाते में अंतरित की जायेगी, किन्तु विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामलें में सहायता राशि रूपया–25,000/– (रूपया पच्चीस हजार मात्र) होगी।

(ii)–विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री (कपड़े, बिछिया, पायल चाँदी के तथा 07 बर्तन) रूपया–10000/– (रूपया दस हजार मात्र) किन्तु विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामलें में यह धनराशि रूपया–5000/–होगी। (सामग्री की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा)।

(iii)–कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु रूपया–5,000/– प्रति जोडा ग्रामीण/शहरी निकाय स्तर पर गठित विवाह समिति को दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

(iv)–एक जोडे पर कुल रूपया–35,000/– (रू0 पैतीस हजार मात्र) की धनराशि का व्ययभार आयेगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम् 10 जोड़े होंगे।

(v)–सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु गठित 'विवाह समिति' स्वयंसेवी संस्थाओं तथा समाज के संभ्रात व्यक्तियों से भी दान स्वरूप धनराशि प्राप्त कर सकती हैं, जिसका विवरण सम्बन्धित विवाह समिति द्वारा पृथक से रखा जायेगा।

(vi)–निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन जिला समाज कल्याण अधिकारी को किया जायेगा। जनपद स्तर से धनराशि का निकायों को स्थानान्तरण जिलाधिकारी के अनुमोदन से किया जायेगा।

(घ) योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का औसत लक्ष्य प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया जायेगा। शासन द्वारा जनपदवार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा जिले के अन्तर्गत आने वाले उपरोक्त निकायों हेतु लक्ष्य का निर्धारण किया जायेगा। जिले की कुल जनसंख्या अथवा सामूहिक विवाह हेतु उपलब्ध आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर प्रशासकीय विभाग द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर भौतिक लक्ष्य में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

(ड.) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित क्रय नियम के अन्तर्गत आरक्षित सूची से हटकर अन्य सामग्री क्रय किये जाने तथा कार्यक्रम के आयोजन पर किये जाने वाले व्यय जो अनिवार्य रूप से किया जाना है, के लिये जिलाधिकारी प्रति वर्ष अपने जिले के लिए दरें निर्धारित कर सकेंगे। दरों का निर्धारण शासकीय नियमों में दी गई प्रक्रिया के तहत किया जायेगा। इस हेतु एक समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा :–

मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी	सदस्य
उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
जिला आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
जिला कार्यक्रम अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/ अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव

उक्त गठित समिति में 02 महिला अधिकारी सम्मिलित होंगी। उपरोक्त पदों के सापेक्ष महिला अधिकारी न होने की स्थिति में जिलाधिकारी, जिले के महिला अधिकारियों को विशेष आमन्त्रित सदस्य के रूप में नामांकित करेंगे, जो कन्या के लिये क्रय की जाने वाली सामग्री के चयन के विकल्प और गुणवत्ता पर सुझाव दे सकें।

(च) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सभी वर्गो के पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने हेतु निर्धारित किये गये लक्ष्य के अनुसार अनुदान संख्या–80 के सुसंगत लेखाशीर्षक में आवश्यक धनराशि का आय–व्ययक प्राविधान किया जायेगा।

(छ) सामूहिक विवाह हेतु पंजीकरण तथा आवेदन की प्रक्रिया निम्नवत् होगीः–

(i)–सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाली कन्याओं एवं विवाह करने वाले लडकों (वर) को संयुक्त रूप से पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप (ग्रामीण क्षेत्र हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

परिशिष्ट–1 पर एवं नगरीय क्षेत्र हेतु **परिशिष्ट–2)** पर समस्त संलग्नकों सहित ऑफलाइन आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि से 45 दिन पूर्व करना होगा।

(ii)–आवेदन पत्र के अलावा विवाह पंजीयन हेतु कन्या व वर को 02–02 प्रति फोटो पृथक से देना अनिवार्य होगा।

(iii)–निर्धारित आवेदन पत्र, ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के कार्यालय में आवश्यक अभिलेखों के साथ जमा कराये जायेंगे। आवेदन पत्र प्राप्ति की रसीद आवेदक को सम्बन्धित निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(iv)–आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त सम्बन्धित निकायों द्वारा आवेदकों की पात्रता का सत्यापन निर्धारित प्रारूप **परिशिष्ट–3** पर कराया जायेगा।

(v)–अपरिहार्य कारणों से यदि ऐसे आवेदक जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम को 01–02 दिन पहले ही आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो उनको सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित करने का निर्णय सम्बन्धित निकाय स्वयं लेगी।

(vi)–विवाह कार्यक्रम सम्पन्न होने के उपरान्त सम्बन्धित निकाय द्वारा वर–वधु को विवाह का प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप **परिशिष्ट–4** पर दिया जायेगा।

(vii)–विवाह समिति द्वारा कन्यादान के रूप में वर–वधु को दी जाने वाली सामग्री **परिशिष्ट–5** पर प्राप्ति रसीद के रूप में प्राप्त करायी जायेगी।

(ज) उक्त योजना हेतु अनुदान स्वीकृत के लिये ग्रामीण क्षेत्रों हेतु अपर मुख्य अधिकारी (जिला पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी तथा शहर क्षेत्रों हेतु 'नगर आयुक्त' नगर निगम अथवा अधिशासी अधिकारी' नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत अधिकृत होंगे।

(झ) ''मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना'' के अन्तर्गत आमंत्रित करने की प्रक्रिया के सुचारू एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निम्नानुसार जनपद स्तरीय समिति का गठन किया जाता है:–

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
नगर आयुक्त/अपर मुख्य अधिकारी (जि.प.), अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत	सदस्य
समस्त उपजिलाधिकारी	सदस्य
समस्त खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी	सदस्य
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	सदस्य

उक्त समिति समय–समय पर बैठक कर योजना का अनुश्रवण करेगी तथा उसके प्रभावी कियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

(ट) इस सम्बन्ध में अभिलेखों का रख–रखाव अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगाः–

(i)–योजनान्तर्गत अभिलेखों का रख–रखाव ग्रामीण क्षेत्र में अपर मुख्य अधिकारी (जिला पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी तथा नगरीय निकाय में नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा किया जायेगा।

(ii)–योजनान्तर्गत 05 वर्ष तक का रिकार्ड/अभिलेख सुरक्षित रखा जायेगा।

(iii)–उक्त योजना के अन्तर्गत चयनित/लाभान्वित किये गये लाभार्थियों का पूर्ण विवरण डी0वी0डी0/डिजिटल रूप में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा 05 वर्ष तक सुरक्षित रखा जायेगा।

(iv)–वर्ष के अन्त में जो धनराशि अनुपयुक्त रहेगी उसकी सूचना तत्काल जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी के अनुमोदन से अन्य निकायों को धनराशि स्थानान्तरित की जायेगी।

(ठ) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि और उनके द्वारा किये गये व्यय आदि का लेखापरीक्षण (आडिट) महालेखाकार से प्रतिवर्ष कराया जायेगा। आडिट हेतु स्थानीय निकायों के सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। सम्बन्धित निकायों द्वारा कराये गये आडिट की प्रति जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायी जानी अनिवार्य होगी।

(ड) योजना का प्रचार–प्रसार जिलाधिकारी एवं जिन निकायों में विवाह आयोजित किये जाने हैं, के द्वारा किया जायेगा। इस हेतु पम्पलेट और बैनर भी लगाकर किया जा सकता है।

(ढ) अन्य बिन्दुः

(i)–उक्त योजना के कियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु समाज कल्याण विभाग नोडल विभाग होगा।

(ii)–प्रथम चरण में योजनान्तर्गत आफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने/सहायता स्वीकृत एवं उपरोक्तानुसार भुगतान कर सामूहिक विवाह योजना का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा तथा भविष्य में उक्त योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा राज्य सूचना विज्ञान इकाई, उत्तर प्रदेश के सहयोग से साफ्टवेयर विकसित कर ऑनलाइन आवेदन पत्र आदि आमंत्रित करने आदि की कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में ऑनलाइन प्रकिया लागू होने पर तदनुसार अलग से निर्देश निर्गत किया जायेगा।

(iii)–वर या कन्या के परिवार से किसी प्रकार का कोई पंजीयन शुल्क अथवा दान नहीं लिया जायेगा। विवाह निःशुल्क होगा।

(iv)–वर एवं वधू की निर्धारित आयु पूर्ण नहीं होने की स्थिति में बाल विवाह अधिनियम के अन्तर्गत वर–वधू के दोषी माता–पिता अथवा अभिभावक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

(v)-"मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के अन्तर्गत लाभान्वित जोडे अन्य विभागों द्वारा अन्त्रतजातीय, अन्त्रतधार्मिक अथवा इस निमित्त दी जाने वाली अन्य प्रोत्साहनात्मक योजनान्तर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि की भी पात्रता रखेंगे।

(vi)- प्रश्नगत योजना के नियमों में यथावश्यक संशोधन करने की शक्ति मा0 मुख्यमंत्री जी में निहित होगी।

(vii)- प्रश्नगत योजनान्तर्गत विवाह का पंजीकरण वैवाहिक स्थल पर किया जायेगा।

3- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-161/2017/44वी.आई.पी.(1)/26-3-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3-प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4-प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5-निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0।
6-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8-समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9-समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
10-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास), उ0प्र0।
11-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कामता प्रसाद
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(परिशिष्ट–1)

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप (ग्रामीण क्षेत्र के लिये)

प्रति

खण्ड विकास अधिकारी,
क्षेत्र पंचायत का नाम..... विकास खण्ड.....जनपद.....उ0प्र0।
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत.....जनपद–.....उ0प्र0।

विषय–"मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के अन्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन एवं विवाह सहायता राशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

भाग–अ

आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक .....
आवेदक का बीपीएल कार्ड क्रमांक .....

आवेदिका का पासपोर्ट साइज फोटो

1– आवेदिका का नाम.....
2– आवेदिका के पिता/अभिभावक का नाम.....
3– आवेदिका की माता का नाम.....
4– निवास का पता .....
5– आवेदिका की जन्म तिथि .....दिनांक .....माह.....वर्ष
6– आवेदिका की विवाह के समय आयु .....
7– जाति/वर्ग(अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य/अल्पसंख्यक).....
8– आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय (रू0).....
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर)
9– परिवार का बी0पी0एल0 कार्ड क्रमांक एवं दिनांक .....
10– बचत खाता
बैंक का नाम –.....शाखा का नाम..... खाता क्रमांक .....
आईएफसी कोड .....

भाग–ब–

वर का आधार कार्ड क्रमांक .....

वर का पासपोर्ट साइज फोटो

11– वर का नाम.....
12– वर के पिता/अभिभावक का नाम .....
13– वर की माता का नाम .....
14– निवास का पता.....
15– वर की जन्म तिथि दिनांक .....माह .....वर्ष .....
16– विवाह के समय आयु .....
17– व्यवसाय एवं वार्षिक आय .....
18– बचत खाता :
बैक का नाम : .....शाखा का नाम ..... खाता क्रमांक .....
आईएफसीकोड .....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

भाग–स

19– विधवा/परित्यक्त आवेदिका के सम्बन्ध में जानकारी –

(1) पूर्व पति का नाम .....

(2) पूर्व पति से विवाह होने का दिनांक .....

(3) पूर्व पति की मृत्यु/विवाह विच्छेद होने का दिनांक .....

(4) पूर्व पति के पिता/अभिभावक का नाम एवं पता .....

अभिकथन

मैं सत्यनिष्ठा से कथन करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उक्त जानकारी सही है तथा मैंने "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के अन्तर्गत पूर्व में किसी तरह की विवाह सहायता प्राप्त नहीं की है। मैं यह विवाह परिवार और अपनी सहमति से कर रही हूँ।

स्थान.....

दिनांक .....

आवेदिका के हस्ताक्षर .....

एवं पूरा नाम .....

अभिकथन

मैं सत्यनिष्ठा से कथन करता हूँ कि मैं "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के अन्तर्गत पात्रता के मापदण्ड में आता हूँ तथा मेरी कन्या/पुत्री के विवाह हेतु पहली बार सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मेरी कन्या एवं वर दोनों की आयु विवाह योग्य है।

स्थान .....

दिनांक .....

कन्या के पिता/अभिभावक के .....

हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी एवं पूरा नाम .....

नोट :–

आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायें :––

1– आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति

2– गरीबी रेखा/निराश्रित/बी0पी0एल0 कार्ड की छायाप्रति,

3– कन्या एवं वर की एक–एक पासपोर्ट साइज फोटो

4– विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति

5– परित्यक्ता होने की स्थिति में न्यायालयी आदेश की छायाप्रति

6– कन्या के बैंक खाता से सम्बन्धित पास बुक की छायाप्रति।

.....प्राप्ति रसीद.....

आवेदक का नामः–

पता–

दिनांकः–

कार्यालय प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

एवं नाम/पदनाम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

(परिशिष्ट–2)

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप (नगरीय क्षेत्र के लिये)

प्रति

नगर आयुक्त,
नगर निगम.....जनपद.....
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत.....जनपद.....उत्तर प्रदेश।

विषय–"मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के अन्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन एवं विवाह सहायता राशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

भाग–अ

आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक .....
आवेदक का बीपीएल कार्ड क्रमांक .....

1– आवेदिका का नाम.....
2– आवेदिका के पिता/अभिभावक का नाम.....
3– आवेदिका की माता का नाम.....
4– निवास का पता .....
5– आवेदिका की जन्म तिथि ..... दिनांक ..... माह .....वर्ष
6– आवेदिका की विवाह के समय आयु .....
7– जाति/वर्ग(अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य/अल्पसंख्यक).....
8– आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय (रू0).....
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर)
9– परिवार का बी0पी0एल0 कार्ड क्रमांक एवं दिनांक .....
10– बचत खाता
बैंक का नाम –.....शाखा का नाम..... खाता क्रमांक .....
आईएफसी कोड .....

आवेदिका का पासपोर्ट साइज फोटो

भाग–ब–

वर का आधार कार्ड क्रमांक

11– वर का नाम.....
12– वर के पिता/अभिभावक का नाम .....
13– वर की माता का नाम .....
14– निवास का पता.....
15– वर की जन्म तिथि दिनांक ..... माह ..... वर्ष .....
16– विवाह के समय आयु .....
17– व्यवसाय एवं वार्षिक आय .....
18– बचत खाता :
बैक का नाम : .....शाखा का नाम ..... खाता क्रमांक .....
आईएफसी कोड .....

वर का पासपोर्ट साइज फोटो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

भाग–स

19– विधवा/परित्यक्त आवेदिका के सम्बन्ध में जानकारी –

(1) पूर्व पति का नाम .....

(2) पूर्व पति से विवाह होने का दिनांक .....

(3) पूर्व पति की मृत्यु/विवाह विच्छेद होने का दिनांक .....

(4) पूर्व पति के पिता/अभिभावक का नाम एवं पता .....

अभिकथन

मैं सत्यनिष्ठा से कथन करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उक्त जानकारी सही है तथा मैंने "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के अन्तर्गत पूर्व में किसी तरह की विवाह सहायता प्राप्त नहीं की है। मैं यह विवाह परिवार और अपनी सहमति से कर रही हूँ।

स्थान.....

दिनांक .....

आवेदिका के हस्ताक्षर .....

एवं पूरा नाम .....

अभिकथन

मैं सत्यनिष्ठा से कथन करता हूँ कि मैं "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के अन्तर्गत पात्रता के मापदण्ड में आता हूँ तथा मेरी कन्या/पुत्री के विवाह हेतु पहली बार सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मेरी कन्या एवं वर दोनों की आयु विवाह योग्य है।

स्थान .....

दिनांक .....

कन्या के पिता/अभिभावक के .....

हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी एवं पूरा नाम .....

नोट :–

आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायें :––

1– आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति

2– गरीबी रेखा/निराश्रित/बी0पी0एल0 कार्ड की छायाप्रति,

3– कन्या एवं वर की एक–एक पासपोर्ट साइज फोटो

4– विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति

5– परित्यक्ता होने की स्थिति में न्यायालयी आदेश की छायाप्रति

6– कन्या के बैंक खाता से सम्बन्धित पास बुक की छायाप्रति।

.....प्राप्ति रसीद.....

आवेदक का नामः–

पता–

दिनांकः–

कार्यालय प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

एवं नाम/पदनाम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

(परिशिष्ट–3)

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत जाँच प्रतिवेदन (प्रारूप)

जाँचकर्ता अधिकारी का नाम.....

पदनाम.....

जाँच का दिनांक–.....

1– आवेदिका का नामः– .....

2– निवास का पूर्ण पताः– ....

.....

3– आवेदिका के पिता का नामः– ....

माता का नामः– ....

माता/पिता के न होने पर अभिभावक का नामः– .....

4–निवास का पूर्ण पताः– .....

5–जन्म तिथि/आयुः–

कन्या–	दिनांक		माह		वर्ष		विवाह दिनांक के दिन आयु .....
वर–	दिनांक		माह		वर्ष		विवाह दिनांक के दिन आयु .....

6–आवेदक परिवार के आय के स्रोत और वार्षिक आयः– .....

.....

7–परिवार बी0पी0एल0 श्रेणी में आता है तो वार्ड क्रमांक व दिनांकः–.....

8–आवेदिका विधवा/परित्यक्तता श्रेणी की है तो उसका विवरणः–.....

.....

जाँच अधिकारी की टीमः–

(अ)–जाँच अधिकारी का विवाह के सम्बन्ध में जिसमें कन्या/वर की निर्धारित आयु पूर्ण कर ली है अथवा नही/कन्या बी0पी0एल0 कार्डधारी है, को देखते हुये स्पष्ट अनुशंसा अंकित की जाय.....

.....

.....

(ब)–जाँच उपरान्त कन्या अपात्र पाये जाने पर मुख्य कारण अंकित करें.....

.....

दिनांकः–

जाँच अधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

(परिशिष्ट–4)

उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण विभाग

पंजीयन संख्याः–..... दिनांकः.....

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सम्पन्न विवाह का प्रमाण पत्र

वधु फोटो

वर फोटो

सौभाग्यवती.....पुत्री श्री.....
निवासी.....का विवाह श्री.....
.....पुत्र श्री .....निवासी.....
.....के साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत स्थान.....में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में दिनांक.....को सम्पन्न हुआ।

नव–दम्पत्ति के सुखमय जीवन एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।

स्थानः.....
दिनांकः.....

हस्ताक्षर.....
निकाय का नाम/मुहर.....
जनपद–.....उत्तर प्रदेश

http://shasan.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

(परिशिष्ट–5)

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कन्या को प्रदाय गृहस्थी की सामग्री पावती रसीद

विवाह तिथिः– .....

कन्या का नामः– .....

पिता का नामः– .....

निवास का पताः– .....

मेरे द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नीचे उल्लिखित कन्यादान सामग्री प्राप्त की गईः–

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

सामग्री प्राप्तकर्ता का नाम
हस्ताक्षर

साक्षी (गवाह)

1.....

2.....

हस्ताक्षर एवं पदमुहर
नोडल अधिकारी

http://s

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।